International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 02(II), April - June, 2022, pp. 194-202

प्रधानमंत्री और शक्ति संरचनात्मक विश्लेषण (भारतीय प्रसंग में)

डॉ. शकीला नकवी*

सार

राजनीति का आधार और केन्द्र बिन्दु शक्ति है। शक्ति के बिना राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। राजनीतिक दल, मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रपति के साथ संबंध, देश और विदेशी मामलों का निर्णय, राज्यों के साथ संबंध एवं नीतिगत मामलों में प्रधानमंत्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रधानमंत्री सत्ता का केन्द्र होता है शक्ति के बिना प्रधानमंत्री का पद निस्तेज है। शक्ति के पिरामिडीय मॉडल में प्रधानमंत्री शिखर पर स्थित है प्रधानमंत्री सदैव अपनी शक्तिशाली स्थिति को बनाए रखा है।

शब्दकोश: *शक्ति, लोकतांत्रिक शक्ति, शक्ति संघर्ष, संरचना, विश्लेषण, भूमिका, सत्ता का केन्द्र, नियंत्रण, संतुलन।*

प्रस्तावना

शक्ति का सिद्धांत राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में नवीन सिद्धांत है। वर्तमान समय में राजनीतिक शोध का आधार और केन्द्र बिन्दु शक्ति ही है। शक्ति राजनीतिक व्यवस्था को समाज के अन्य व्यवस्थाओं से पृथक और बाध्यकारी बनाती है।

अहिंसा के पुजारी भारत देश में सदैव शक्ति की उपेक्षा की गई है तथा इसे शांति, दया और अहिंसा के विरूद्ध मानकर नकारा गया है। किन्तु डेविट ईस्टन, लासवैल, रॉबर्ट ए. डहल और केटलिन जैसे विद्वानों ने शक्ति की नवीन दृष्टिकोण से व्याख्या की है तथा शक्ति को लोकतंत्र से जोड़ा। केटलिन ने सहयोग को शक्ति का ही रूप माना है। इससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का महत्व बढ़ गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को भी शक्ति परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का अग्रणी स्थान है वह सबसे शक्तिशाली भूमिका का निर्वाह करता है। प्रधानमंत्री के मंत्रिमण्डल, राजनीतिक दल, संसद, राष्ट्रपति एवं राज्यों के साथ संबंधों में एक ध्यान देने योग्य विशेष तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री ने सदैव अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री की स्थिति अपनी मंत्रिमण्डल मे उच्चतम रही है। श्रीमती गांधी और नरेन्द्र मोदी के मंत्री उनके सेवक के समान रहे। कांग्रेस अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री के संबंध विवादपूर्ण रहे। किसी भी प्रधानमंत्री ने दलीय अध्यक्ष को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया तथा प्रत्येक राष्ट्रपति के समय प्रधानमंत्री ने अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखी। इसका कारण यह है कि शक्ति का पिरामिडीय मॉडल में प्रधानमंत्री शिखर पर स्थित है और प्रधानमंत्री ने सदैव अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाई रखी।

अध्ययन उद्देश्य एवं क्षेत्र

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझना। शक्ति को केन्द्र मानकर प्रधानमंत्री पद का अध्ययन करना और प्रधानमंत्री और दल के संबंधों को शक्ति के दृष्टिकोण से समझना।

---

* सह आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोंक, राजस्थान।

लोकतांत्रिक शक्ति की अवधारणा

लासवैल का मानना है कि राजनीति विज्ञान समस्त विषय वस्तु ''शक्ति के लिए संघर्ष'' है उन्होनें पॉवर एण्ड सोसायटी नामक ग्रंथ में शक्ति पक्ष पर अत्यधिक बल दिया है।[1]

लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्व रखता है और वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। राजनीति और शासन संबंधी समस्त शक्तियाँ प्रधानमंत्री में केन्द्रित होती है। प्रधानमंत्री सत्ता का केन्द्र होता है न केवल नीति निर्माण वरना नीतियों को लागू करने में भी प्रधानमंत्री की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश एवं विदेशी मामलों संबंधी समस्त महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा ही लिये जाते है और वहीं अपने कार्यो के लिए संसद (लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री अपने समस्त कार्यो में औचित्य युक्त शक्ति का प्रयोग करता है शक्ति को केन्द्र मानकर ही प्रधानमंत्री पद का अध्ययन किया जा सकता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का स्थान

शक्ति राजनीति का केन्द्र बिन्दु है और शक्ति लोकतंत्र सहित समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं में सर्वप्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। वर्तमान समय में शक्ति के आधार पर ही समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था शक्ति को केन्द्र मानकर ही संचालित होती है। भारतीय राजनीति का प्रमुख तत्व शक्ति ही है। लासवैल की शक्ति अवधारणा के आधार पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का अध्ययन किया जा सकता है। जब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण शक्ति के आधार पर करने की बात उठती है तो निश्चित रूप से यह शक्ति लोकतांत्रिक शक्ति ही होगी और लोकतांत्रिक शक्ति सदैव औचित्यपूर्ण अथवा वैध शक्ति होगी।

कुछ विद्वानों भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का विश्लेषण शक्ति के संदर्भ में करने का प्रयास किया है। राल्फ सी. मेयर और के.एल. कमल ने अपने अध्ययन में शक्ति दृष्टिकोण से भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता को समझाने का प्रयत्न किया है।[2] भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता को जानकर ही प्रधानमंत्री पद को गहनता से समझा जा सकता है और प्रधानमंत्री का राजनीतिक दल, मंत्री परिषद एवं अन्य संबंधित पक्षों से संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है।

भारत में लोकतांत्रिक शक्ति का विकास : नियंत्रण एवं संतुलन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा (सेफ्टी वॉल्व) के रूप में 1885 में की थी। किन्तु बाद यही कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। भारत में 1909, 1919, 1935 भारतीय शासन अधिनियमों से लोकतांत्रिक शक्ति का विकास आज़ादी से पूर्व हुआ।

भारत में स्वतंत्रता के बाद केबिनेट सरकार का ''बितानी मॉडल'' अपनाया गया जिसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केबिनेट में समस्त शक्ति केन्द्रित होती है और राष्ट्रपति की भूमिका ''नाममात्र अथवा गौरवपूर्ण'' होती है। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली इसलिए प्रधानमंत्री सर्वोच्च शासक होते हुए भी तानाशाह नहीं हो सकता जैसा कि रॉबर्ट डहल ने लिखा है कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य शक्ति अधिकतम संख्या में समूह और राज्य के मध्य विभक्त होती है।[3] भारतीय शक्ति प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के उच्च सलाहकार, केबिनेट मंत्रियों, उच्च श्रेणी प्रशासकों, दलीय सदस्यों, संसद सदस्यों, उद्योगपतियों, विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, संगठित हित समूहों, दबाव समूहों तथा अनेक संगठनों में विभक्त होती है। साथ ही सर्वोच्च शक्ति भारतीय जनता के पास होती है। जो प्रत्येक पांच वर्षो के पश्चात अपने मताधिकार के प्रयोग से सरकार में परिवर्तन ला सकती है। सन् 1975 के आपातकाल की अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के कारण ही श्रीमती गांधी 1977 के आम चुनाव में हारी।

लोकतांत्रिक शक्ति विकेन्द्रित शक्ति होती है और भारतीय संविधान के अनुसार सरकार अपनी शक्तियों का दुरूपयोग नहीं कर सकती। हमारे संविधान में सरकार पर अनेक औपचारिक प्रतिबन्धों की व्यवस्था की गई है। संविधान में भारतीय जनता को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है। जिसमें सरकार को नागरिकों के

विरूद्ध कुछ कार्य करने से रोका गया है। तो दूसरी और सरकार को नीति के निदेशक तत्वों के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्य का निर्देश दिया गया है। भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनायी गई है जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय आधार पर शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसमें शक्ति केन्द्र, राज्यों तथा पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में विभक्त होती है। इसके विपरीत ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली होने के कारण ऐसा नहीं होता है।

राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक विस्तृत आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। इन शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति के तानाशाह बनने की संभावना बढ़ जाती है, यदि राष्ट्रपति शक्तिशाली हो और केन्द्र में मिली–जुली सरकार हो। कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए परेशानियाँ उत्पन्न कर सकता है। सन् 1977 में निर्मित जनता पार्टी की सरकार ने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जबकि मोरारजी देसाई अपने दल में मतभेदों, टूट–फूट एवं चुनौतियों के फलस्वरूप निर्बल स्थिति में आ गए थे और त्यागपत्र देना पड़ा था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह के मध्य गंभीर मतभेद उभर आए।[4] राष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक शक्तियों पर बल दिया है और सरकार के समक्ष संकट उत्पन्न कर दिया।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के मध्य बँटी होने से भी प्रधानमंत्री की शक्तियों पर नियंत्रण हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में तानाशाह नही हो सकता।[5] प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता और वक्ता है। इसी आधार पर प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि प्रधानमंत्री कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रखता है।[6] पूर्व मंत्री एम.सी. छागला का मानना है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ तेजी से बढ़ी है। किन्तु फिर भी उसके सहयोगी सीढ़ियों की भाँति नहीं हैं, जिन्हें राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार रखा या फेंका जा सकता है।[7]

प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत ''समानों में प्रथम'' नहीं है और एस.एस. खेर के अनुसार भारत में प्रधानमंत्री की तानाशाही पर कोई रोक नहीं है।[8] किन्तु लोकतांत्रिक देश में इसकी संभावना कम है। यदि ऐसा प्रयत्न किया गया तो श्रीमती गांधी के समान उससे मुँह की खानी पड़ेगी। लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री की शक्ति पर दल, जनमत, राष्ट्रपति, संसद तथा न्यायपालिका एवं प्रेस आदि का नियंत्रण होता है। सरदार पटेल ने अपने समय में पण्डित नेहरू का नियंत्रण के रूप में कार्य किया। एन.एस. गहलोत का मानना है कि पूर्व वर्षो की अपेक्षा प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यधिक शक्तिशाली हुई है।[9]

प्रधानमंत्री की शक्ति पर संसद का भी नियंत्रण होता है। संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद द्वारा मंत्रिपरिषद पर प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव एवं काम रोको प्रस्ताव तथा विभिन्न समितियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है और संसद में प्रधानमंत्री के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। लोकतंत्र का तृतीय प्रमुख अंग न्यायपालिका अपनी न्यायिक के व्याख्याओं, अपने निर्णयों एवं न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा प्रधानमंत्री की शक्तियों को प्रतिबंधित रखती है। अनेक केबिनेट मंत्री, दलीय नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव भी न्यायिक सक्रियता की चपेट में आ गए।[10]

राजनेता नीतियों का निर्माण करते है और प्रशासक उन्हें लागू करते है परदे के पीछे से प्रशासन का संचालन प्रशासकों द्वारा किया जाता है और अपनी विशेषज्ञता के बल पर ये प्रधानमंत्री के निर्णय को बहुत हद तक प्रभावित करते है। लोकतंत्र में चुनाव के समय मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री, सत्ताधारी दल एवं विपक्षी दलों को विभिन्न दिशानिर्देश देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की भूमिका सर्वविदित है।

प्रधानमंत्री और दलीय शक्ति

भारत के संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एकाकी रूप में शक्तिशाली नहीं होता है उसकी शक्ति दलीय शक्ति होती है। बहुमत दल का सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री होता है। इसलिए प्रधानमंत्री को हर समय दलीय हित का ध्यान रखना पड़ता है और दल के प्रमुख व्यक्तियों की सलाह के अनुसार देश के महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा होता है। प्रधानमंत्री की मंत्रिमण्डल में उसके दल के सदस्य होते है। यहाँ तक कि संसद में भी उसका दल ही बहुमत दल होता है।

स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस में संगठन पक्ष सत्ता पक्ष की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली था। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बनाना पड़ा।[11] भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की नियुक्ति दल के संगठन पक्ष के प्रयासों के फलस्वरूप ही हो पाई थी। श्रीमती गाँधी की नियुक्ति में दलीय अध्यक्ष ने ''राज–निर्माता'' की भूमिका का निर्वाह किया। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात राजनैतिक दलों में शक्ति संघर्ष निम्नलिखित रूपों में देखा गया।

- केन्द्र में कांग्रेस दल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री और उनके विरोधियों के मध्य शक्ति संघर्ष
- केन्द्र में कांग्रेस दल एवं उससे संबंधित शक्तियों का विरोधी दलों के शक्ति संबंध
- विभिन्न राज्यों में कांग्रेस दल तथा विरोधी दलों के मध्य शक्ति संघर्ष।[12]

प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने से पूर्व एक स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता थे। देश में उनका प्रभाव अत्यधिक था उनकी तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल से की जा सकती है।

प्रधानमंत्री एवं दलीय अध्यक्षः सरकार पर दलीय नियंत्रण

कांग्रेस दल के केन्द्रीय संगठन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, कार्यकारिणी समिति और केन्द्रीय निर्वाचन समिति का काफी प्रभाव था। कांग्रेस के संगठन में नेहरू पटेल और प्रसाद शक्तिशाली नेता थे।[13] जिनको सम्मिलित किये बिना न तो कोई सरकार निर्मित हो सकती थी और न ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते थे। इसलिए नेहरू को उन्हें सरकार में महत्वपूर्ण पद देने को बाध्य होना पड़ा।

प्रधानमंत्री नेहरू और दलीय अध्यक्ष कृपलानी एवं टंडन ने दल एवं सरकार पर अपना–अपना प्रभुत्व डालने के प्रयत्न किए और उनके मध्य शक्ति संघर्ष हुआ जिसमें प्रधानमंत्री की जीत हुई और दलीय अध्यक्षों को त्याग–पत्र देना पड़ा था। आगामी तीन वर्षो के लिए नेहरू दलीय अध्यक्ष बने और उनके उत्तराधिकारी भी उनकी सहमति से चुने गये। 1963 में ''कामराज प्लान'' से नेहरू ने अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया। किन्तु लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कराने में दलीय अध्यक्ष कामराज ने शक्तिशाली भूमिका निभाई। फिर भी शास्त्री जी ने नीति निर्माण और मंत्रिमण्डल निर्माण के समय उनसे कोई सलाह नहीं ली। कामराज ने श्रीमती गांधी को भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कराया और राज निर्माता बने। शीघ्र ही श्रीमती गांधी ने अपने कार्यो में दलीय नेताओं की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया और दलीय नेताओं पर प्रधानमंत्री पद की सर्वोच्च शक्ति दर्शाने का प्रयत्न किया।[14]

प्रधानमंत्री और दल में शक्ति संघर्ष

भारत में सन् 1967 से लेकर 1971 तक का काल प्रधानमंत्री एवं दलीय राजनीति के लिए संक्रमण का काल था। 1967 में केन्द्रीय सत्ता निर्बल होने से राजस्थान, उत्तर–प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल में कांग्रेस विभाजित हो गई। विपक्षी दल भी विभाजित हुए। नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इसका प्रधान कारण था विभिन्न दलों में तीव्र गति से दल–बदल हो रहे थे। सुभाष सी. कश्यप ने अपने ग्रंथ में दल–बदल का बहुत सटीक चित्रण किया है।[15] श्रीमती गाँधी का कांग्रेस दल और सरकार का शक्तिशाली नियंत्रण नहीं था। राजस्थान में कुम्भाराम आर्य, पश्चिमी बंगाल में अजय मुखर्जी, उत्तर–प्रदेश में चरण सिंह और हरियाणा राव वीरेन्द्र सिंह जैसे नेता अपने गुट सहित कांग्रेस दल छोड़कर गए और यह गुट विपक्षी दलों के साथ सम्मिलित होने लगे। मायरन वीनर ने लिखा है कि, ''एक संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत एक केन्द्रित दलीय संरचना में सरंचनात्मक अनुकुलता के अभाव में राज्य इकाईयाँ तीव्र गति से स्वायता की ओर बढ़ी है तथा केन्द्रीय इकाईयाँ अपने अधीनस्थ निकायों पर नियंत्रण बनाए रखने में असफल रही है।

केन्द्र में दलीय नेता और प्रधानमंत्री के मध्य शक्ति संघर्ष था। देश के समक्ष अनेक समस्याऐं खड़ी थी जिससे दल के बाहर भी संघर्ष था तो दूसरी ओर राज्यों में भी दल और सरकार के मध्य संघर्षशील स्थिति थी। साथी ही केन्द्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय का अभाव था। यह संकट वास्तव में नेतृत्व का संकट था।

कांग्रेस दल में प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी और दलीय अध्यक्ष निजलिंगप्पा के मध्य शक्ति संघर्ष था। दलीय विरोध होने पर भी श्रीमती गाँधी डॉ. जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाने में सफल रही। अपने दल और दल के बाहर समर्थन प्राप्त कर डॉ. जाकिर हुसैन की राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति कांग्रेस की विरोधी दल के ऊपर विजय थी तो श्री वी.वी. गिरि की नियुक्ति सिंडिकेट पर श्रीमती गाँधी की विजय थी। किन्तु इससे कांग्रेस दल का विभाजन हो गया ''इन्दिरा कांग्रेस'' नाम से नवीन दल की स्थापना की। 1971 के आम चुनाव में श्रीमती गाँधी के दल को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हुआ।

उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिससे जनता के समक्ष विश्वास प्राप्त किया। उन्होंने प्रिविपर्सो की समाप्ति की। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में शक्तिशाली दलीय विरोधियों की चुनौती का सामना किया। 1972 में राज्यों में चुनाव कराए। इससे कुछ समय पूर्व भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई और श्रीमती गाँधी ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया और इसे पृथक राष्ट्र बनाया। उन्होंने 24वां, 25वां और 26वां संवैधानिक संशोधन पारित कराया जिससे निजी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रख सके। इन कारणों से न केवल केन्द्र अपितु राज्यों में भी उनकी शक्ति बढ़ी।

उन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान, आंध्रप्रदेश, आसाम और मध्य–प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को हटाया। दल में व्यक्तियों एवं पुरातन प्रांतीय कांग्रेस समितियों के स्थान पर बड़ी संख्या में तदर्थ समितियाँ गठित की जिनकी अध्यक्षता ऐसे निकाय करते थे जो प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते थे उन्होंने ऐसे लोगों को दूर रखने का प्रयत्न किया। जो शक्ति के स्वतंत्र केन्द्रों की स्थापना कर सकते थे।[16] श्रीमती गाँधी ने अपने काल में क्रांतिकारी कदम उठाए जो नेहरू ने सत्ता और शक्ति की चरम सीमा में भी कभी नहीं उठाए थे और ऐसा नियंत्रण और केन्द्रीयकरण नहीं किया था। श्रीमती गाँधी के समान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए। जम्मू–कश्मीर में धारा 370 खत्म करना, आयोध्या में राम मंदिर निर्माण और पाक में सैनिक कार्यवाही करके आतंकवाद के अड्डे को खत्म करना,[17] राज्यों में अपनी पंसद के मुख्यमंत्री बनाना एवं राष्ट्रपति अपने पंसद के व्यक्ति को बनाना इत्यादि।

श्रीमती गाँधी ने 1971 के आम चुनाव और मार्च 1972 राज्यों के चुनाव में अत्यधिक बहुमत प्राप्त किया था जिससे उन्होंने धीरे–धीरे दल, सरकार, राज्यों, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति बढ़ाने के प्रयास किये। उन्होंने न केव दलीय अध्यक्षों, दलीय समितियों, दल के संगठन और सरकार में मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत अपने सहयोगी लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किये। वरना राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके मनोनीत मुख्यमंत्री ही थे अनेक प्रयत्नों के फलस्वरूप उनके हाथ में दल सरकार और देश सारी शक्तियाँ केन्द्रित होने लगी और वह असीमित शक्ति की स्वामी बन गई। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्थिति भी ऐसी ही है।

सन् 1975 में श्रीमती गाँधी के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध माना जिससे विपक्षी दलों का आन्दोलन तीव्र गति से फैलने लगा श्रीमती गाँधी को पद से हटाने की मांग विपक्षी दल करने लगे जिससे श्रीमती गाँधी ने 26 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की।

श्रीमती गाँधी ने आपातकाल में अनेक बड़े कदम उठाए।[18] उन्होंने विपक्षी दलों के अधिकांश सदस्यों और कुछ कांग्रेसी नेताओं को भी गिरफ्तार किया। गुजरात और तमिलनाडू जैसी गैर कांग्रेसी सरकारों को भंग किया उन्होंने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया। उन्होंने 42वां संविधान संशोधन पारित कराया और अनेक सकारात्मक कार्य भी किए। 1977 के आम चुनाव में सभी विपक्षी दलों ने कांग्रेस के विरूद्ध एकजुटता प्रदर्शित की और जनता से लोकतंत्र अथवा तानाशाही में से किसी एक को चुनने की अपील की। इन सब कारणों के फलस्वरूप कांग्रेस पहली बार केन्द्र में हारी और भारतीय संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में केन्द्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ। 1977 में केन्द्र जनता पार्टी की सरकार बनने के कुछ समय बाद ही 9 राज्यों की कांग्रेसी सरकारों को गिरा दिया था और 42वें संवैधानिक संशोधन के विरोध में 44वां संवैधानिक संशोधन पारित कराया और इसे आपातकाल के विरूद्ध सुरक्षा माना गया। जीवन और स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकारों की गारंटी दी गई। इस प्रकार जनता पार्टी की प्रधानमंत्री ने अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया।

ये विभिन्न दलों का एक ढीला–ढाला गठबंधन था जिसमें प्रमुख नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाऐं सर्वोपरि थी। यह प्रमुख नेता थे मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम। जनता पार्टी में देसाई विरूद्ध अभियान प्रांरभ हो गया और मोरारजी देसाई ने 2 वर्षो से कम समय में प्रधानमंत्री पद से त्याग–पत्र दे दिया और प्रधानमंत्री चरण सिंह की सरकार बनी। जो वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सरकार थी जिसने एक दिन भी लोकसभा का सामना नहीं किया और प्रधानमंत्री ने 6 माह से पूर्व ही त्याग–पत्र दे दिया और 1980 के आम चुनाव में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस सत्ता में आई।

श्रीमती गांधी के शासनकाल में नई दिल्ली में 1982 में एशियाई खेल सम्पन्न हुआ। 1983 में गुट निरपेक्ष देशों का सातवाँ सम्मेलन हुआ तथा नवम्बर 1983 में ''कॉमनवैल्थ'' नेताओं का सम्मेलन हुआ जिसमें भारत और भारत के बाहर विकासशील देशों एवं सम्पूर्ण विश्व में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में भारत की एक पहचान बनी। उन्होंने इन सम्मेलनों में अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन किया और प्रभावी भाषण दिया। उन्होंने कहा कि ''यद्यपि भारत एक विश्व शक्ति नहीं है किन्तु आकांक्षाऐं वैश्विक है।'' इससे श्रीमती गांधी की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई।[19]

श्रीमती गांधी ने पंजाब समस्या समझाने हेतु जून 1984 में ''ऑपरेशन ब्लू स्टार'' नामक सैनिक कार्यवाही की। जिससे मामला अत्यधिक उलझ गया और श्रीमती गांधी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 31 अक्टूबर 1984 राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत किया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीते और विभिन्न राज्यों में भी उनका दल अत्यधिक बहुमत से सत्ता पुनः लौटा। इससे प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस दल का केन्द्र तथा राज्यों एकछत्र प्रभुत्व रहा। उन्होंने अपने काल में पंजाब समझौता, आसम समझौता एवं श्रीलंका समझौता किया। देश के इस युवा प्रधानमंत्री ने विज्ञान एवं कम्प्यूटर युग और 21वीं सदी में प्रवेश का आह्वान किया। उनको मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष की। इससे देश के युवकों के मध्य अपनी शक्ति की धाक जमाने में सफल हुए। उनके काल में प्रधानमंत्री का दल, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण तथा वह पूर्ण रूप से शक्तिशाली रहे। उन्होंने मंत्रिमंडल में अपनी इच्छा से अनेक बार परिवर्तन किए और राज्यों में भी अपने समर्थकों को ही मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने निरपेक्ष बहुमत के साथ सर्व शक्तिशाली भूमिका का निर्वाह किया। 1989 के आम चुनाव में ''बोफोर्स घोटाले'' में प्रधानमंत्री की भूमिका संबंधी मुद्दा उछाला और प्रधामनंत्री वी.पी. सिंह की सरकार बनी। अल्पमतीय प्रधानमंत्री होने से वे और उनका दल कभी पूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया। उन्होंने अपने काल में जनाधार बढ़ाने के लिए आरक्षण बढ़ाने हेतु मण्डल कमीशन एवं बाबरी मस्जिद–रामजन्म भूमि विवाद को उछाला जिससे उनकी सरकार गिर गई।

प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के त्याग–पत्र देने के बाद चन्द्रशेखर के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थित समाजवादी जनता दल की सरकार अस्तित्व आई जो प्रत्येक मामलों कांग्रेस दल की कठपुतली सरकार थी। कुछ माह बाद ही प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर ने त्याग–पत्र दे दिया। देश के आम चुनाव में किसी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका और कांग्रेस ने पी.वी. नरसिंह राव, के नेतृत्व में अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाई। उनके काल में प्रमुख दलीय नेताओं पी.वी. नरसिंह राव, शरद पंवार, अर्जुन सिंह एवं माधवराम सिंधिया के मध्य शक्ति विभाजित थी जिससे प्रधानमंत्री ने प्रमुख दलीय नेताओं में सरकार एवं मंत्रिमण्डल में महत्वपूर्ण पद वितरित किए। समशक्तिशाली दलीय नेताओं के कारण प्रधानमंत्री नरसिंह राव सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री नहीं बन सके। फिर भी वे शरद पंवार को केन्द्र से निकालकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने में सफल हुए। उनके काल में कांग्रेस दल पतन की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो गया। अर्जुन सिंह एवं माधवराव सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर जाने से कांग्रेस दल छिन्न–भिन्न हो गया। उनके समय में कांग्रेस दल अपनी शीर्ष स्थिति गिरा जिसका रजनी कोठारी ने अच्छा चित्रण किया है।[20]

1996 के देश के आम चुनाव में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और देवेगौड़ा के नेतृत्व में विभिन्न दलों से मिश्रित संयुक्त मोर्चा सरकार निर्मित हुई जिससे बाहर से कांग्रेस दल ने समर्थन दिया। देवेगौड़ा सरकार कभी शक्ति सरंचना का केन्द्र नहीं बन सके और बाहरी रूप से कांग्रेस का दबाव होने

से वे स्वतंत्र निर्णय भी नहीं ले सके। उनके काल में प्रधानमंत्री दल की शक्ति घटी और न्यायिक सक्रियता बढ़ी। केन्द्र में अनेक क्षेत्रीय दल सम्मिलित थे इसलिए राज्य सरकारों का महत्व बढ़ा और विभिन्न राज्य अपने मांगों की पूर्ति हेतु केन्द्र पर दबाव डालने लगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को अपनी शक्ति के विकास का अवसर नहीं मिला। दलीय अध्यक्ष सीताराम केसरी की महत्वाकांक्षाऐं बढ़ने लगी और उन्होंने प्रधानमंत्री देवेगौड़ा से समर्थन वापिस ले लिया।

प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल संयुक्त मोर्चा के नेता और प्रधानमंत्री बने। अल्पमतीय प्रधानमंत्री होने एवं कांग्रेस का बाहरी समर्थन होने के कारण वे कभी शक्तिशाली न बन सके। देश के आम चुनावों में जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दलों के समर्थन से सरकार बनाई। गठबंधन सरकार की अनेक सीमाओं के बावजूद परमाणु बम परीक्षण, बस से पाकिस्तान की यात्रा कर भारत–पाक के मध्य बस यात्रा शुरू की तथा घनिष्ठ संबंध बनाए। 2004 से 2014 तक डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। वे दलीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के मनोनीत प्रधानमंत्री थे। अपने दल में अनेक शक्तिशाली नेताओं, दलीय संगठन में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी, बाहरी समर्थन देने वाले अनेक क्षेत्रीय दलों की महत्वकांक्षाओं के कारण वे शक्तिशाली प्रधानमंत्री न बन सके। दुर्भाग्य से देश उनकी योग्यता एवं विद्वता का लाभ न उठा सका। तो भी ऐसे संक्रमण काल में अर्थव्यवस्था एवं राजनीति को स्थिरता देना उनकी विलक्षण क्षमता थी। 10 वर्ष तक स्थिर सरकार देने में सफल रहे। 2014 से निरंतर दो कार्यकाल में ऐतिहासिक बहुमत से जीतकर नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने शक्ति के सारे कीर्तिमानों को तोड़ा। शक्ति की नई मिसालें कायम की। संसद, मंत्रिमंडल, राजनीतिक दल, देश एवं विदेशी मामलों में, राज्यों के साथ संबंधों में वे सर्वशक्तिशाली रहे है।

प्रधानमंत्रीः शक्ति संरचना का शीर्ष बिन्दु

डेविड ईस्टन का मानना है कि प्रत्येक राजनीतिक शोध के पीछे ये प्रश्न होता है कि, ''शक्ति कौन रखता है और कैसे इसका उपभोग करता है?''[21] ''लासवेल ने अपने ग्रंथ में यह जानने का प्रयास किया है कि समाज में प्रभावक अथवा मूल्यों का सर्वाधिक अंश पाने वाला कौन है?''

लसवेल के अध्ययन के आधार पर भारतीय शक्ति संरचना का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है[22] कि समाज का सर्वाधिक प्रभावी और शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री है। यथार्थ रूप में सभी कार्यो का निष्पादन प्रधानमंत्री पद–धारी व्यक्ति ही करता है। भारतीय शक्ति की संरचना को समझाने के लिए प्रो. के.एल. कमल ने शक्ति के बहुलवादी मॉडल का विकास किया है।[23]

लेखक के अनुसार मॉडल बहुलवादी हैं, क्योंकि इसमें अनेक कर्त्ताओं की भागीदारी होती है। इस मॉडल में शक्ति के पिरामिड में प्रधानमंत्री शिखर पर स्थित है वह दल, मंत्रिपरिषद, संसद, राज्यों, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था एवं अन्य क्षेत्रों में सर्वोपरि शक्ति का उपभोग करता है।

प्रधानमंत्री शिखर पर

प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सर्वप्रमुख व्यक्ति होता है व मंत्रियों की नियुक्ति, उनके बीच पदों और विभागों का बँटवारा करता है तथा विभिन्न विभागों का नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखता है। वे किसी भी मंत्री को निजी उत्तरदायित्वों के आधार पर हटा सकता है। वे सरकार के समक्ष चुनोतियाँ आने पर उसकी रक्षा करता है। वे योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नागरिक परिषद की अध्यक्षता करता है।

प्रधानमंत्री ने अनेक बार मंत्रियों को हटाया और अपनी शक्ति बढ़ाई। प्रधानमंत्री नेहरू ने अम्बेडकर, एस.पी. मुखर्जी, सी.डी. देशमुख और कृष्णामाचारी को हटाया। उन्होंने कामराज योजना के अन्तर्गत मोरारजी देसाई, एस.के. पाटिल, गोपाल रेड्डी और लाल बहादुर शास्त्री तथा कुछ समय बाद वी.के. कृष्णामेनन और के. डी.मालवीय को हटाया। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने वित्त मंत्री को हटाया। श्रीमती गांधी ने एम.सी. छागला, गुलजारी लाल नंदा, दिनेश सिंह, मोरारजी देसाई, एस.के. पाटिल, अशोक मेहता और रामसुभग सिंह को हटाया। ताकि कांग्रेस संगठन द्वारा प्रधानमंत्री को दी जा रही चुनौती को दूर किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी लाल कृष्ण अडवानी टीम के पुरातन व्यक्तियों को हटाया और अपनी नई टीम बनाई। अमितशाह और आदित्य नाथ योगी को अपने निकट रखा।

प्रधानमंत्री की शक्ति पर नियंत्रण

यद्यपि भारतीय प्रधानमंत्री सत्ता के शीर्ष पर अवस्थित है। वह शक्ति का केन्द्र बिन्दु होता है, किन्तु प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में शक्ति बहुत से लोगों के हाथ में होती है। यह व्यक्ति समूह, निकाय अथवा व्यक्ति भिन्न–भिन्न तरीकों से प्रधानमंत्री पर अपना दबाव और प्रभाव डालते है। अनेक चुनौतियों में रहकर भी वह सर्वोपरि भूमिका का निर्वाह करता है।

प्रधानमंत्री के निर्वाचन का प्रकार, उसका व्यक्तित्व, राष्ट्रपति के चुनाव में उसकी भूमिका, दल पर नियंत्रण, संसद में प्राप्त स्थिति, मंत्रिमण्डल में भूमिका, विपक्षी दल और राज्य सरकारे उसकी शक्ति को प्रभावित करते है।[24] यदि प्रधानमंत्री का निर्वाचन स्वयं की शक्ति के आधार पर हुआ है तो वह शक्तिशाली होगा। जैसे जवाहर लाल नेहरू 1952 से 1964 तक, श्रीमती गांधी 1971 और 1980 तथा राजीव गांधी 1984 में और नरेन्द्र मोदी 2014 से अब तक निरंतर शक्तिशाली रहे। अन्य तत्वों के सहयोग से प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने वाला पदधारी कमजोर होगा जैसे 1964 में लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में श्रीमती इन्दिरा गांधी, 1989 में वी.पी. सिंह, चन्द्रशेखर, देवेगौड़ा, इन्द्रकुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह।

करिश्मावादी और प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री शक्तिशाली होगा। इसमें पण्डित नेहरू, श्रीमती गांधी, राजीव गांधी, और नरेन्द्र मोदी की स्थिति को सम्मिलित किया जा सकता है।

भारत में टाटा, बिड़ला, अम्बानी, अडानी जैसे उद्योगपति और पूंजीपति सरकार को धन देते है। यह सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव और नियंत्रण डालते है।

विश्व की महाशक्तियाँ, तेल उत्पादक राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय ऋणदात्री संस्थाएँ और भारत के पड़ोसी देश और विदेशी सरकारें, प्रधानमंत्री को चुनौती देने की स्थिति में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध सुपर 301 के अन्तर्गत प्रतिबंध एवं अन्य प्रतिबंध इसमें सम्मिलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश द्वारा प्रधानमंत्री को चुनौती दी जा सकती है। जैसी श्रीमती गांधी और नरसिंह राव को अदालत के कटघरे में खड़ा करना और गुजरात दंगों के मामले में नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट देना। उच्च श्रेणी के नौकरशाह पर्दे के पीछे से प्रधानमंत्री की शक्ति को प्रभावित करते है। प्रेस भी प्रधानमंत्री की शक्ति बढ़ाने और घटाने में प्रभावी भूमिका निभाते है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शक्ति के पीछे प्रेस और मीडिया का सर्वाधिक योगदान है। अनेक छात्र संगठन, किसान संघ, विभिन्न व्यावसायिक संघ, अध्यापक संघ, हरिजन संघ, अनेक जातीय एवं सामुदायिक समूह प्रधानमंत्री के निर्णयों पर प्रभाव डालते है।

डहल के अनुसार संख्या भी एक शक्ति है पांच वर्षो में जनता अपने मताधिकार की शक्ति का प्रयोग करती है प्रधानमंत्री और सरकार को बदल देती है। भारत में शक्ति अनेक इकाईयों में विभक्त होती है जो प्रधानमंत्री के निर्णयों पर प्रभाव और नियंत्रण डालती है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि शक्ति राजनैतिक शोध का मार्गदर्शक है। राज्य की अवधारणा को शक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है और देश में सर्वोच्च स्थान पर प्रधानमंत्री का पद शक्ति से जुड़ा है प्रधानमंत्री के पास शक्ति होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सर्वेसर्वा होता है। वह अपने दल का नेता, दलीय अध्यक्ष होता है उसका अपने दल पर पूर्ण नियंत्रण होता है। सदन में लोकसभा का नेता, मुख्य वक्ता होता है। भारत में राष्ट्रपति तो सदैव प्रधानमंत्री का अपना मनोनीत व्यक्ति ही होता है। प्रधानमंत्री के सचिव भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सके है। एक दलीय शासन होने पर मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति होते है। वह राज्यों के मामलों में, उनके मंत्रिमंडल में हस्तक्षेप करता है। प्रधानमंत्री अपने विरोधियों को मंत्रिमंडल से हटाकर अपनी शक्ति में वृद्धि करता है। भारत में करिश्मावादी व्यक्तित्व होने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होता है वह अपने देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री शक्ति संरचना

का केन्द्र बिन्दु है किन्तु वह निरंकुश शासक नहीं है इसका कारण है कि वह लोकतांत्रिक शक्ति का स्वामी है। शक्ति के पिरामिड में अनेक लोगों की भागीदारी होती है अनेक चुनौतियों में घिरकर ही वह शक्तिशाली भूमिका का निर्वाह करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. लासवैल, हैरल्ड एण्ड कैपलन, अब्राहम : पॉवर एण्ड सोसायटी, न्यू हैवन, याले यूनिवर्सिटी प्रेस, 1950
2. मेयर, सी.राल्फ एण्ड कमल, के. एल.: डिमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एण्ड इंडिया, दिल्ली, विकास पब्लीशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, 1977
3. रॉबर्ट डहल, ए. : द कन्सेप्ट ऑफ पॉवर, इन बैल, एडवर्डस एण्ड वैगनर, उद्धत
4. डहल, रॉबर्ट ए. : ''मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस'', प्रेन्टिस हाल, न्यूजर्सी, एंग्लवुड क्लिफ्स, 1976 पृ. 100
5. मेमायर्स ऑव् ज्ञानी जैलसिंह, नई दिल्ली, हर आनन्द प्रकाशन, 1997, पृ. 217–300
6. उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री सरदार पटेल का वक्तव्य, उद्धत, पटेल, सरदारः ''पी.एम. कान्ट बी डिक्टेटर इन केबिनेट'', द स्टेट्स वोल्यूम 4, संख्या 23, 1 सितम्बर 1973 पृ. 13–14
7. नेहरू, जवाहरलाल : पी.एम. हैज़ फुल फ्रीडम टू एक्ट, द स्टेट्स, वोल्यूम 4, संख्या 23, 1 सितम्बर 1973, पृष्ठ 11–12
8. छागला, एम.सी. : पी एम्स पॉवर्स हैव इनक्रीज्ड ग्रेटली, वोल्यूम 4, संख्या 23, 15 सितम्बर, 1973, पृष्ठ 11 एवं 14
9. खेरा, एस.एस. : ''नो थ्रेट ऑव् द पी एम्स डिक्टेटरशिप इन इण्डिया'', वोल्यूम 4, संख्या 23, 15 सितम्बर 1973, पृष्ठ 17–18
10. गहलोत, एन.एस. : पोजीशन ऑव् द प्राइम मिनिस्टर, द मॉडर्न रिव्यू, जून 1979, वॉल्यूम ब्ग्ग्ग्प्प् संख्या 6, संपूर्ण नं. 858 पृष्ठ 333–339
11. द टाइम्स ऑव् इण्डिया, 29 सितम्बर 1996
12. पीएम्स पॉवर्स : क्लेश ऑव् जाइण्ट्स, कवर स्टोरी, स्टेटस, वोल्यूम 4, संख्या 23, 1 सितम्बर 1973, पृष्ठ 10 एवं 14
13. कमल, के. एल. : डिमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इण्डिया, द्वितीय संस्करण, नई दिल्ली, विले ईस्टर्न लिमिटेड, 1984, पृष्ठ 82
14. कृष्णा, बी. : सरदार वल्लभ भाई पटेल–इण्डियाज आइरन मैन, नई दिल्ली, हारपर कौलिन्स, 1995, पृष्ठ 505
15. लिमये, मधु : ''इन्दिरा गाँधी एज़ आई न्यू (ज्ञदमू) हर'', मेनस्ट्रीम, 29 अक्टूबर 1994, पृष्ठ 5
16. काश्यप, सुभाष सी. : पॉलिटिक्स ऑव् डिफेक्शन, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 1970 पृष्ठ 100
17. शुक्ला, विमला : भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका, नई दिल्ली राजपाल एण्ड सन्ज, 1978 पृष्ठ 298
18. सिंह डॉ.मनवीर, भारत के प्रधानमंत्री, विश्व भारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2020, पृष्ठ 273
19. जैन, पुखराज : भारतीय प्रधानमंत्री, आगरा, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, 1980, पृष्ठ 73
20. जैन, गिरिलाल : ''इण्डिया स्पेन्स मैनी वर्ल्डस, नोट ए मेयर रीजनल पॉवर'', 23 नवम्बर 1983
21. कोठारी, रजनी : द लास्ट स्ट्रॉ, द पॉयनियर, रविवार, 29 सितम्बर 1996, पृष्ठ 1, (एजेण्डा)
22. ईस्टन, डेविड : द पॉलिटिकल सिस्टम : इन इन्क्वायरी इन टू द स्टेट ऑव् पॉलिटिकल साइन्स, कलकत्ता, साइन्टिफिक बुक एजेन्सी, 1953, पृष्ठ 115
23. लासवैल, हैरल्ड : पॉलिटिक्सः हू गेट्स व्हाट, व्हेन, हाऊ, न्यूयार्क, मेकग्रा–हिल, 1936
24. कमल, के. एल. : डिमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इण्डिया, नई दिल्ली, विले ईस्टर्न लिमिटेड, 1984 पृष्ठ 190
25. खरे, हरीश : इण्डियन प्राइम मिनिस्टर–ए प्ली फॉर इन्स्टीट्यूशनलाइजेशन ऑव पॉवर्स, जर्नल ऑव् कॉन्स्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेण्टरी स्टडीज वौल्यूम 5, संख्या 1, जनवरी–मार्च 1971, पृष्ठ 22–50

❖◆❖